छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांकः 205/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/04/2020

प्रति,

1. **समस्त विभागों के भारसाधक सचिव,**
2. **समस्त संभागायुक्त,**
3. **समस्त कलेक्टर,**
4. **समस्त विभागाध्यक्ष,**

विषयः– **नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉटस के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों में दुकानों के संचालन के संबंध में किये गये संशोधन एवं स्पष्टीकरण बाबत्।**

संदर्भः– 1. गृह सचिव, भारत सरकार का पत्र क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 24/04/2020

2. श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक 2473/को.वा./2020 दि. 25/04/2020

––00––

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक 2 के माध्यम से श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि जिलों को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉटस के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 25 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अंतर्गत दुकानों के संचालन की अनुमति के संबंध में जो निर्देश जारी किये गये है वह जारी होने के साथ ही प्रभावशील हो गये हैं।

2/ इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि संदर्भित आदेश के माध्यम से छूट की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जा सकती है। प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है परंतु किसी प्रकार की ढील दिये जाने के अनुमति नहीं होगी।

3/ पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉटस एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होगें तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉटस एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

28/4/20

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांकः 206/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/04/2020

प्रतिलिपिः–

1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
10. प्रमुख आयकर आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
11. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
12. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर,
13. महालेखाकार, ऑडिट/लेखा
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
16. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/ राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
17. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 24th April, 2020

ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Order No. 40-3/2020-DM-I(A) Dated 15th April, 2020 and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby orders the following amendments in the consolidated revised guidelines for strict implementation by Ministries/Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/Union Territory Authorities:

Modifications

I. **In Sub-clause 1 (x), the term 'shopping complexes' *is replaced with* 'market complexes within the limits of municipal corporations and municipalities'.**

Inclusions

I. **Sub-clause (xiii) & (xiv) under Clause 14 on Commercial and private establishments:**

xiii. All shops registered under the the Shops and Establishment Act of the respective State/UT, including shops in residential complexes and market complexes, except shops in multi-brand and single brand malls, ***outside the limits of municipal corporations and municipalities***, with 50% strength of workers with wearing of masks and social distancing being mandatory.

xiv. All shops, including neighborhood shops and standalone shops, shops in residential complexes, ***within the limits of municipal corporations and municipalities,*** registered under the the Shops and Establishment Act of the respective State/UT, except shops in market complexes and multi-brand and single brand malls, with 50% strength of workers with wearing of masks and social distancing being mandatory.

24/04/2020
Home Secretary

To

1. **The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India**
2. **The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories**

(As per list attached)

Copy to:

i. All members of the National Executive Committee.

ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 2473/श्रे.वा./2020 प्रति, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/04/20

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत ।

सन्दर्भः (1) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A), दिनांक 15 अप्रैल, 2020
(2) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A), दिनांक 24 अप्रैल, 2020

उपरोक्त विषयांतर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र क्रमांक (2) की छाया प्रति संलग्न करते हुए लेख है कि पत्र में उल्लेखित स्पष्टीकरण एवं दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें । साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन, मास्क का उपयोग एवं अन्य सावधानियाँ तथा उपाय संबंधी निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करें ।

संलग्न – संदर्भित पत्र क्रमांक–(2)

25/4/2020

(सोनमणि बोरा)
सचिव सह आयुक्त,
श्रम विभाग
छत्तीसगढ़ शासन,

पृ0क्रमांक 2474/को.वा/2020 नवा रायपुर, दिनांक 25.04.2020

प्रतिलिपि–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मान0 मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

Room No.: S-4/03, 4th Floor, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar (C.G.) 492002
Phone : 0771-2234110 Fax : 2510266
Email : secv-labour.cg@gov.in . Website : www.cglabour.nic.in

Scanned with CamScanner

3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
4. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन
7. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
8. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

9. समस्त संभाग आयुक्त (राजस्व)....................
10. समस्त पुलिस महानिरीक्षक......................
11. समस्त पुलिस अधीक्षक ....
12. समस्त श्रम विभागीय अधिकारी,जिला ——— छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

25/4/2020

सचिव सह आयुक्त,
श्रम विभाग
छत्तीसगढ़ शासन,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Ministry of Home Affairs

Press Release

Clarification on MHA order allowing opening of shops

Ministry of Home Affairs issued an Order No. 40-3/2020-DM-I(A) Dated 24thApril, 2020 onamendments in the consolidated revised guidelineson lock down measures to allow opening of shops.

2. This Order implies that:

a. In ***rural areas,***all shops, except those in shopping malls are allowed to open.

b. In ***urban areas,*** *all standalone shops, neighbourhood shops & shops in residential complexes are allowed to open.* Shopsin markets/ market complexes and shopping mallsare***not*** allowed to open.

3. It is clarified that sale by **E-commerce**companies will continue to be permitted for essential goods only.

4. It is further clarified that sale of **liquor** and other items continues to be prohibited as specified in the National Directives for COVID-19 management.

NOTE: **As specified in the consolidated revised guidelines, *these shops will not be permitted to open in areas,* whether rural or urban, which are declared as containment zones by respective States/ UTs.**

Scanned with CamScanner